

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पत्रांक-6ए/वि01-1041/2020- 386

पटना, दिनांक- 30.3.26

प्रेषक,

ई-मेल

अभय कुमार सिंह,
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय: विभागीय पत्रांक-6ए/वि01-1041/2020-186 दिनांक-10.02.2026 द्वारा 4.00 लाख रूपये बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता संख्या-PNB PLA 006, विपत्र कोड-K8448001200041 में अंतरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-6ए/वि01-1041/2020-186 दिनांक-10.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 4.00 लाख रूपये की राशि की निकासी पर बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या-PNB PLA 006, विपत्र कोड-K8448001200041 में अंतरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

परन्तु वित्त विभाग का पत्र संख्या-एम4-21/2021-1354/वि0, दिनांक-06.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) में निहित निदेश के आलोक में उक्त राशि का अंतरण राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या-PNB PLA 006, विपत्र कोड-K8448001200041 में नहीं किया जा सका है।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-6ए/वि01-1041/2020-186 दिनांक-10.02.2026 द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश को तत्काल रद्द किया जाता है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

30/3/26

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 386

पटना, दिनांक- 30.3.26

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/26

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 386 पटना, दिनांक- 30.3.26
प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय कुमार सिंह
30/3/26

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 386

पटना, दिनांक- 30.3.26

3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/
कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियन्ता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/विशेष
पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/ उप निदेशक (अन्वेषण)/उप
निदेशक (मू0)/बजट पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0-1)/कार्यपालक अभियंता
(मो02)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ लेखा शाखा को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित/
आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6/कार्यवाह
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6 को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित संचिका में रखने
हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

अभय कुमार सिंह
30/3/26

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)।

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक:-6ए/वि01-1041/2020- 186
सेवा में,

पटना-15, दिनांक:- 10.2.26

महालेखाकार,
वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय -वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई -उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0105-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड-36-2215017960105 विषय शीर्ष-0104.31.05-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत 4.00 लाख रुपये (चार लाख रुपये) मात्र की राशि की निकासी की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) अंतर्गत वर्ष 2025-26 में विषयांकित योजना बजट में 2.00 करोड़ रुपये (दो करोड़ रुपये) मात्र का प्रावधान है। इस राशि का व्यय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के निश्चय "हर घर नल का जल" के तहत गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने एवं अन्य सदृश्य कार्यों के क्रियान्वयन पर किया जाना है। विभागीय संकल्प संख्या-2969 दिनांक-22.12.2017 द्वारा निर्गत संकल्प में "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना" के तहत योजना के सूत्रण विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने एवं योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण आदि हेतु सपोर्ट फंड के रूप में 2 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। इस हेतु विषयांकित मद में 4.00 लाख रुपये (चार लाख रुपये) मात्र की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. इस पर होने वाला व्यय योजना का मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई -उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0105-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड-36-2215017960105 विषय शीर्ष-0104.31.05-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारितव्य होगा।

4. योजना से संबंधित राशि की निकासी विभागीय विभिन्न स्वीकृत्यादेश तथा आवंटन संख्या-187 (आ.) दिनांक - 10.2.26 के आलोक में की जायेगी।


5. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या-5537, दिनांक-24.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यपालक अभियंता (मो-02)-सह-निकासी एवं वययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा की जायेगी, यह राशि CFMS के माध्यम से निकासी कर सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता संख्या-PNB PLA 006, विपत्र कोड -K8448001200041 में अंतरण किया जायेगा।

6. विषयगत राशि की निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2969 दिनांक-22.12.2017 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/(वि02) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई है।

7. इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8. यह राशि बजट के अधीन है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक- 186 पटना, दिनांक - 10.2.26
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक-6ए/वि01-1041/2020- 186 पटना, दिनांक - 10.2.26
प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार, पटना/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/संयुक्त निदेशक (जल जीवन मिशन)/बजट पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/कार्यपालक अभियंता, (मो0-2)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित/लेखा शाखा/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/आई0 टी0 मैनेजर/(बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी-6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए/वि01-1041/2020-
सेवा में,

187

पटना 15, दिनांक- 10.2.26

कार्यपालक अभियंता (मो0-2)-
सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना।

विषय- मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई -उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- उपशीर्ष-0105-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड-36-2215017960105 विषय शीर्ष-0104.31.05-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत 4.00 लाख रुपये (चार लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

आदेश- वित्तीय वर्ष 2025-26 में संलग्न विवरणी के स्तम्भ-2 में अंकित कार्यालय को स्तम्भ-5 में अंकित राशि कुल 4.00 लाख रुपये (चार लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत् किया जाता है :-

क्र० सं०	पदनाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	कार्य का नाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			राशि (लाख रुपये में)			
1	कार्यपालक अभियंता (मो0-2) -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के सभी परिवारों को नल का जल देने हेतु "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना" का सपोर्ट फंड	0.00	4.00	4.00	विभागीय संकल्प संख्या-2969 दिनांक-- 22.12.2017

(चार लाख रुपये) मात्र।

2. यह व्यय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आय-व्यय 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना का मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई -उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- उपशीर्ष-0105-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड-36-2215017960105 विषय शीर्ष-0104.31.05-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारितव्य होगा।


4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2969 दिनांक-22.12.2017 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/(वि02) दिनांक-17.04.1998 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के अनुज्ञेय सीमा के ही अधीन वित्त विभाग के पत्रांक-एम0-4-53/2190 दिनांक-17.03.2008 में दिये गये निदेश के आलोक में ही व्यय किया जाय।

6. आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन भी किसी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

7. आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या-5537 दिनांक-24.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यपालक अभियंता (मो0-2)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी, यह राशि CFMS के माध्यम से निकासी कर सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या-PNB PLA 006, विपत्र कोड-K8448001200041 में अंतरण किया जायेगा।

8. आवंटित राशि की सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक-6ए/वि01-1041/2020- 187 पटना, दिनांक - 10.2.26
प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार, पटना/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/संयुक्त निदेशक (जल जीवन मिशन)/बजट पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/कार्यपालक अभियंता, (मो0-2)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित/लेखा शाखा/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/आई0 टी0 मैनेजर/(बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी-6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

आनन्द किशोर, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव
Anand Kishor, I.A.S.
Additional Chief Secretary



बिहार सरकार
वित्त विभाग
पुराना सचिवालय, पटना-800015
Govt of Bihar,
Finance Department
Old Secretariat, Patna - 800015
Tel. No. - 0612-2215805
Email - finsecy-bih@nic.in

पत्र सं०-एम-4-21/2021-1354/वि०

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय:-

पटना-15, दिनांक-06-02-2026
वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कोषागारों में बड़ी संख्या में विपत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, जिससे राशि निकासी के क्रम में विपत्रों के सम्यक जाँच में कठिनाई होती है। इसके साथ ही कोषागारों से निकासी की गई राशि के लंबी अवधि तक अव्यवहृत रहने के दृष्टांत भी उजागर हुये हैं। बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-176 एवं 177 के आलोक में कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जानी चाहिए जितना तत्काल व्यय हेतु आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु पूर्व के वित्तीय वर्षों में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं ताकि अनावश्यक रूप से राशि की निकासी न की जाय तथा आवश्यक प्रस्तुत विपत्रों की सम्यक जाँच के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

2. अतएव चालू वित्तीय वर्ष (2025-2026) के अंतिम माह (फरवरी एवं मार्च) में निधि निकासी के क्रम में निम्नांकित निर्णय संसूचित किये जाते हैं:-

(i) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम से संबंधित SNA/SNA SPARSH, राज्य स्कीम से अतिरिक्त व्यय (केन्द्रांश में कमी अथवा Top up के रूप में), Special Assistance to States for Capital Investment से संबंधित विपत्र, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, सामाजिक सुरक्षा योजना, छात्रवृत्ति योजना इत्यादि मामले, जिनमें बैंक खाता के माध्यम से भुगतान/प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण की अनिवार्यता हो, को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में कोषागार से राशि की निकासी कर उसे बैंक खाता में Park नहीं किया जायेगा।

(ii) विभिन्न प्रकार के कार्य अग्रिम (यथा, मोबिलाइजेशन अग्रिम, सुरक्षित अग्रिम, सामग्री और खरीद अग्रिम एवं अन्य अग्रिम) एवं GeM के तहत अधिप्राप्ति हेतु GPA में राशि अंतरण/हस्तांतरण को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में ₹1.00 करोड़ (एक करोड़ रूपया) से अधिक राशि की अग्रिम निकासी वित्त विभाग की सहमति के पश्चात की जा सकेगी।

(iii) Special Assistance to States for Capital Investment से संबंधित राशि को छोड़कर अन्य सभी मामलों में वित्त विभागीय सहमति के उपरांत ही पी0एल0 खाते में राशि हस्तांतरित की जा सकेगी।

(iv) अनुरक्षण एवं मरम्मत मद की राशि पी0एल0 खाता में संधारित नहीं की जायेगी। जिन मामलों में संदर्भित मद की राशि पी0एल0 खाता में संधारित की गई है, उनमें पी0एल0 खाता से उक्त मद की राशि के पूर्ण व्यय के उपरांत ही चालू वित्तीय वर्ष में बजट में प्रावधानित राशि से व्यय किया जायेगा। इसके साथ ही पी0एल0 खाता में उक्त मद की अवशेष राशि को इसी वित्तीय वर्ष में घटायें वापसियों के रूप में समेकित निधि में जमा करा दिया जाना आवश्यक होगा।

(v) सभी विभाग/कार्यालय प्रधान तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वर्तमान में उपलब्ध बजट उपबंध/आवंटन के अधीन सभी तरह के विपत्र नियमानुसार तैयार कर दिनांक 20.03.2026 तक निम्नांकित समय-तालिका के अनुसार संबंधित कोषागार में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न आकस्मिक व्यय मदों से संबंधित विपत्र दिनांक 20.03.2026 के पश्चात् प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे:-

क्र०	संबंधित विपत्र की अवधि	कोषागार में प्रस्तुत करने की समय-सीमा
1.	जनवरी, 2026 तक का सभी विपत्र	28 फरवरी, 2026 तक
2.	फरवरी, 2026 तक का सभी विपत्र	15 मार्च, 2026 तक
3.	विभिन्न व्यय मदों से संबंधित केवल माह मार्च, 2026 के विपत्र	20 मार्च, 2026 तक

नोट:- दिनांक 20 मार्च, 2026 के बाद कोई भी विपत्र कोषागार में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(vi) कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने से संबंधित उक्त निर्धारित समय-सीमा आपदा से संबंधित व्यय/न्यायालय/लोकायुक्त कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/बिहार मानवाधिकार आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्यपाल सचिवालय/विधान मंडल/सूद एवं मूलधन के किस्त का भुगतान/जयघोष/मुख्यमंत्री सचिवालय/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम/केन्द्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत SNA SPARSH के माध्यम से व्यय/केन्द्र प्रायोजित स्कीम में केन्द्रांश एवं राज्यांश की निकासी कर SNA Account में स्थानांतरण/केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग तथा 50 वर्षीय सूद रहित Special Assistance to States for Capital Investment से संबंधित विपत्रों के साथ-साथ निम्न विपत्रों पर लागू नहीं होंगे :-

क्र०	विषय	विषय शीर्ष (Unit Code)
1.	वेतन	01-01 से 01-07 तक
2.	सहायक अनुदान वेतन	31-04
3.	संविदा	28-02 से 28-05
4.	किराया महसूल एवं कर	14-01
5.	विद्युत प्रभार	13-04
6.	विधि प्रभार	13-05
7.	सभी प्रकार का सेवान्त लाभ, पेंशन, जी०पी०एफ० आदि	

3. अतएव अनुरोध है कि अपने विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों में निधि निकासी के क्रम में उक्त दिशा-निर्देशों का दृढ़तापूर्व अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन

(आनन्द किशोर)

अपर मुख्य सचिव।

पटना, दिनांक 06-02-2026

ज्ञापांक:-एम-4-21/2021-1354/वि०

प्रतिलिपि:-प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।